न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 56/2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00340

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण :—

रूपाराम पुत्र मोतीराम, जाति पटेल, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)

1. विजय सिंह पुत्र गुमानसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)
2. ग्राम पंचायत जैतपुरा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जैतपुरा तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 8/11/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत जैतपुरा तहसील रोहट की मिसल संख्या 125/2009 प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 5.6.2009 की पालना में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 05.06.2009 के विरूद्ध पेश कर निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर ग्राम पंचायत का मूल रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस तारीख पेशी दिनांक 8.2.2021 को प्रार्थी स्वयं उपस्थित मिला एवं नोटिस लेने से इंकार करने पर खुले आबाद मकान पर चस्पा की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है। अप्रार्थी का नोटिस आबाद मकान पर चस्पा के बाद एकतरफा कार्यवाही पूर्व में ही दिनांक 18.3.2021 को लाई जा चूकी है अतः बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा द्वारा दिनांक 5.6.2009 को प्रस्ताव संख्या 06 पारित कर पट्टा संख्या 45 दिनांक 21.11.2009 जो अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी किया गया। उक्त पट्टा विधि विरूद्ध खसरा संख्या 78 में जारी किया गया खसरा संख्या 78 में प्रार्थी को बाड़े के रूप में आवंटन सुदा भूमी है जिसमें ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए पट्टा खारिज फरमाया जावे। तथा जैर निगरानी प्रस्ताव व आदेश व पट्टा संख्या 45 विधि, तथ्यों व रेकर्ड के विरूद्ध जारी करने से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा खसरा संख्या 78 में अप्रार्थी के नाम जैर निगरानी पट्टा जारी किंया है जो कृषि भूमी है तथा कृषि भूमी में पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है इसी खसरे में 10 बिस्वा भूमी रूपाराम, 10 बिस्वा भूमी मोतीराम, 10 बिस्वा भूमी बुधाराम व 10 बिस्वा भूमी टीकमाराम व 10 बिस्वा भूमी खीमसिंह को बाड़े के रूप में आवंटित कर सनद जारी की गई है। तथा शेष कृषि भूमी की खातेदारी अन्य व्यक्ति की है। इस प्रकार खसरा नंबर 78 की सम्पूर्ण भूमी कृषि भूमी है। जमाबन्दी की प्रति संलग्न है तथा खसरा नंबर 78 की भूमी पृथक—पृथक टूकड़ो में आवंटित की जाने से बट्टा नंबर कायम हुए रूपाराम के बट्टा नंबर 853/78 है इस प्रकार प्रस्ताव व पट्टा कृषि भूमी बाबत लेकर अप्रार्थी संख्या 1 को फायदा पहुंचाने के लिए पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। मिसल में दिनांक कहीं भी अंकित नहीं है। सभी आदेशिकाओं में दिनांक रिक्त है तथा प्रार्थी के आवेदन एवं प्रथम आदेशिका में भूमी का पट्टा बनाने का अंकन है तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन नहीं किया हुआ है न उसमें वार्ड पंचों के नाम अंकित है। मिसल के दूसरे पृष्ठ पर न तो किसी के हस्ताक्षर है न आदेशिकाओं की दिनांक ही अंकित है। तथा सरपंच की मोहर नहीं लगाई हुई है। राजस्थान पंचायत [illegible] (नियम) 1994 के नियम 157 के तहत पुरानें संनिर्मित मकानों [illegible] प्रावधान है रिक्त भूमी का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है [illegible] निरीक्षक के प्रपत्र पर मात्र दो वार्ड पंचों के हस्ताक्षर है। सरपंच एवं तीसरे वार्ड पंच के हस्ताक्षर [illegible] है। बिना हस्ताक्षर एवं बिना नियमानुसार कमेटी [illegible] वार्ड पंचो के हस्ताक्षर [illegible] (निरीक्षण) प्रपत्र

क्रमश......................2

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:30:58 IST
Reason: SelfAttested

शुन्य दस्तावेज है। आपति मांगने के सूचना पत्र पर दिनांक व क्रमांक अंकित नहीं है न ही मोहर व हस्ताक्षर मय सील के है मात्र पड़ोस अंकित है नोटिस कहां चस्पा किया गया किन मौतबिरानों के समक्ष चस्पा किया गया इसका अंकन भी पृष्ठ भाग पर नहीं है। दो गवाहों के बयान पत्रावली संलग्न है दोनों बयानों पर दिनांक अंकित नही है बयान देने वाले के पिता का नाम अंकित नहीं है न ही सरपंच के हस्ताक्षर है ऐसे बयान विधिसम्मत नहीं माने जा सकते है अलबता मिसल मे व जैर निगरानी पट्टे में पड़ोस अंकित है वे सभी समान है नक्शा किसके द्वारा बनाया गया उस पर सचिव व सरपंच के हस्ताक्षर भी नहीं है उपरोक्त सभी प्रकार से मनमर्जी से विधि विरूद्ध तरीके से कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गा जो निरस्त किया जावे। जैर निगरी पट्टा नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है जबकि अप्रार्थी का जैर निगरानी आराजी पर मकान निर्मित था ही नहीं ऐसी स्थिति में भूखण्ड का पट्टा उक्त नियमों के तहत जारी नहीं किया जा सकता है जैर निगरानी पट्टा नियम 157 (1) के तहत जारी भूखण्ड का जारी कर दिए जाने से पट्टा निरस्त फरमाया जावे। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा 2932 वर्गगज का जारी किया गया है जिसको जारी करने की अधिकारिता पंचायत को नहीं है न ही अपने क्षेत्राधिकार से अधिक भूमी का पट्टा जारी किया उसका सक्षम प्राधिकृत अधिकारी से अनुमोदन ही कराया गया है उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गई एवं पंत्रावली का अवलोकन किया गया तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसल एवं पट्टा बुक में विद्यमान पट्टो का भी अवलोकन किया गया। इस निगरानी के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु 2 है:–

1. क्या पट्टा कृषि भूमी में जारी किया गया है?
2. क्या पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है ?

पत्रावली में बने नक्शे के पड़ौस एवं पट्टे में बने नक्शों के अवलोकन से पड़ौस उत्तर में टीकमराम पटेल, दक्षिण में आम रास्ता, तथा पूर्व में जालोर जोधपुर रोड, पश्चिम में पन्नाराम पटेल है। सभी पड़ोस पृथम दृष्टया समान व वही है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी पट्टे अथवा पत्रावली में किसी प्रकार के साक्ष्य सबूत पेश कर यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि पट्टा आबादी भूमी में जारी नहीं कर कृषि भूमी में जारी किया गया है। प्रस्ताव रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रस्ताव लिया गया या नहीं जहां तक पट्टा जारी करते समय नियमों में विहित प्रक्रिया का प्रश्न है तो इस का पालन नहीं किया गया है।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो मिसल में विद्यमान है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा भूमी का पट्टा बनवाना चाहा है एवं पुराना कब्जा बताया है जबकि पट्टा 157(1) के तहत जारी सुदा है जो पुराने संनिर्मित गृहों के विनियमितीकरण करने हेतु जारी किया जाता है पट्टा 2932 वर्गगज पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर जारी किया गया है तथा किसी भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराया है। मिसल पर नम्बर अंकित नहीं है न ही आदेशिकाओं में दिनांक अंकित है न मोहर है प्रथम पृष्ठ से अन्त तक आदेशिकाओं में सरपंच के हस्ताक्षार मात्र है सील नहीं है तथा द्वितीय पृष्ठ पर तो हस्ताक्षर भी नहीं है। राशि वसूल की या नहीं कही रसीद नम्बर अंकित नहीं है नक्शा बनाया उस पर भी सरपंच वगैरा अथवा सचिव के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है आपति इश्तिहार पर हस्ताक्षर मोहर सील व दिनांक का अभाव है व चस्पायगी रिपोर्ट पृष्ठ भाग पर अंकित नहीं है बयानों पर दिनांक तथा बयान देने वालों की वल्दियत अंकित नहीं है न ही [illegible] निरीक्षण कमेटी का गठन ही नहीं किया गया है प्रपत्र पर मात्र 2 वार्ड [illegible] हस्ताक्षर है जबकि 3 वार्ड पंचों की कमेटी होती है तथा [illegible] सरपंच के भी हस्ताक्षर नहीं है जो होने आवश्[illegible] के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के हक में पट्टा [illegible] करते समय पंचायत नियमों में विहित प्रक्रिया एवं नियमों का पालन बिल्कुल ही नहीं किया गया है। इसलिए जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाना विधिसम्मत है।

क्रमश....................3

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:30:58 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं जैर निगरानी पट्टा संख्या 45 दिनाक 21.11.2009 जो तथाकथित प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 5.6.2009 की पालना में जारी किया गया उन दोनों को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/11/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:30:58 IST
Reason: SelfAttested